

Let's Understand the Draft Delhi Master Plan 2041

ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान २०४१ को समझें

Street Vendors
पथ विक्रेता

What provisions are there in the Plan? | प्लान में क्या प्रावधान है?

- Layout for Vending Zones.
- Clustering of informal activities; clusters can be temporary like weekly markets or take more permanent forms such as Teh- bazaar systems or theme-based Haats.
- Multi-utility zones as per Street Design Regulations for accommodating informal activities.
- The vending and no vending zones shall be clearly demarcated
- Public conveniences and solid waste disposal arrangements for vending areas.
- Creating street vending zones, and public plazas.
- ले आउट डिज़ाइन के ज़रिए विक्रय क्षेत्र प्रदान किए जाएँगे।
- अनौपचारिक गतिविधियों को समूहबद्ध करने को बढ़ावा दिया जाएगा; इस तरह के कलस्टर या तो साप्ताहिक बाज़ार की तरह अस्थायी हो सकता है या फिर तेह-बाज़ारी या थीम आधारित बाज़ार की तरह स्थायी।
- बहु उपयोगी ज़ोन का भी समावेश होगा ताकि अनौपचारिक गतिविधियों को भी स्थान दिया जा सके।
- सभी सक्रिय सड़क डिज़ाइन में विक्रय व गैर विक्रय ज़ोन चिन्हित किए जाएँगे।
- पथ विक्रय के लिए चिन्हित स्थानों पर जन सुविधा तथा ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए व्यवस्था।
- पथ विक्रय ज़ोन व पब्लिक प्लाज़ा का निर्माण

What had the campaign asked for? | अभियान ने क्या मांगा था?

- Regulation of vending under MPD 2041; Vending/informal markets must be permitted in all land use categories.
- Recognition, protection and incorporation of natural markets; Provide supporting infrastructure to all of these areas
- Provision of basic services; Adequate public conveniences and special facilities for women vendors
- Multi-utility zones should be created and space for vending shall be provided
- दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत पथ विक्रय का विनियमन; पथ विक्रय/अनौपचारिक बाज़ार को सभी प्रकार के भूमि उपयोग में अनुमति होनी चाहिए।
- सभी प्राकृतिक बाज़ारों की पहचान, सुरक्षा व समावेश; इन क्षेत्रों में सभी आवश्यक संरचनाओं की आपूर्ति की जानी चाहिए।
- बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान; उपयुक्त जनसुविधा तथा महिला पथ विक्रेताओं के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध
- बहु उपयोगी ज़ोन बनाएँ जाएँ व उसमें पथ विक्रेताओं को स्थान दिया जाए।

What can we suggest? | हम क्या सुझाव दे सकते हैं ?

- The Plan should recognise the existence of SV Act 2014 and governing rules and schemes and TVCs as the decision-making body for permissibility, restrictions and zoning pertaining to vendors
- Identify existing natural markets and weekly markets
- Allocate and make more spaces for permanent, weekly, and episodic markets
- Allocate space for development of women's and night markets.
- इस योजना को पथ विक्रेता क़ानून 2014 के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है, व इसके नियम व योजना के अनुसार अनुमति, प्रतिबंध, तथा विक्रेताओं के लिए ज़ोनिंग आदि को टाउन वेण्डिंग कमिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
- सभी वर्तमान में स्थित प्राकृतिक व साप्ताहिक बाज़ारों को चिन्हित किया जाना चाहिए।
- और भी स्थायी, साप्ताहिक व अस्थायी बाजारों के लिए जगह आवंटित किया जाना चाहिए।
- महिला हाट व रात्रि बाज़ार जैसे विशेष बाज़ारों के लिए भी जगह आवंटित की जानी चाहिए

What can we suggest? | हम क्या सुझाव दे सकते हैं ?

- Allow use of parking and other dead spaces post office hours for vending
- Pedestrianized areas for some time during the day, week, or permanently. This increases the probability of a natural market emerging
- Use of spaces under flyovers, outside metro stations and parking lots for vending
- The Calculation of all informal units per formal units should be increased
- पार्किंग व कार्यालय समय के बाद उपयोग में ना आने वाले जगहों को भी विक्रय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- दिन, सप्ताह या स्थायी रूप से पैदल मार्गों का विकास जिससे प्राकृतिक बाज़ारों में बढ़ोतरी हो सके।
- फ़्लाइओवर, मेट्रो स्टेशन के बाहर व पार्किंग को विकाय के लिए उपयोग में लाया जाए।
- प्रति औपचारिक इकाइयों पर अनौपचारिक इकाइयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।



Thankyou
धन्यवाद

